



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-202

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 276724 दिनांक 08/01/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	ग.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Nupur Soni W/o RAJAN SONI	श्रीमती पुष्पा मनवानी पत्नी श्री नारायण दास मानवानी	9	216.66 SQ. YARD	Private	RIDDHI SIDDHI ENCLAVE Sector/Block-	Issue Free Hold E- Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) Original Lease Deed (Patta)	निजी खातेदारी योजना रिद्वी-सिद्वी एनक्लेव के भूखण्ड संख्या 9 क्षेत्रफल 216.66 व.ग. की लीज डीड श्रीमती पुष्पा मनवानी पत्नी श्री नारायण दास मानवानी के पक्ष में जारी की गई है। श्रीमती पुष्पा मनवानी द्वारा श्री राकेश कुमार शर्मा पुत्र श्री राम सहाय शर्मा के पक्ष में रजिस्टर्ड मुख्त्यारनामा आम दिनांक 06.01.2016 को नियुक्त किया गया है। श्री राकेश कुमार शर्मा द्वारा श्री सुरेश कुमार तनेजा पुत्र श्री किशन चन्द तनेजा को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 13.01.2016 के



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

द्वारा बेचान किया गया जिसके आधार पर दिनांक 18.05.2016 को श्री सुरेश कुमार तनेजा के पक्ष में नाम हस्तान्तरण जारी किया गया है। श्री सुरेश कुमार तनेजा द्वारा श्रीमती नूपुर सोनी पत्नी श्री राजन सोनी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.06.2019 के द्वारा बेचान किया गया है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Nupur Soni W/o RAJAN SONI को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |